

प्रेषक,
दिनेश चन्द्र कनौजिया,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 04

विषय: प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका-पकाया भोजन (कुकड़ मील) दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1549/79.6.04-7(9)/2004 दिनांक: 28 सितम्बर, 2004 के प्रस्तर-3 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं०-71 के अधीन लेखा शीर्षक- "2202 सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत-012-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-25-मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को पका-पकाया गरम भोजन दिया जाना-20-सहायता अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाय:-

अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा- आयोजनागत-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-25-मिड-डे-मील योजनान्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को पका-पकाया गरम भोजन दिया जाना-20-सहायता अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

शासनादेश दिनांक: 28 सितम्बर 2004 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,
ह०
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग ।
4. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
5. महालेखाकार, उ०प्र० ।

6. वित्त ई-॥, उ०प्र० शासन।
7. नियोजन विभाग अनुभाग-१, उ०प्र० शासन।
8. नगर विकास विभाग सूडा/डूडा, उ०प्र० शासन।
9. पंचायती राज अनुभाग-३, उ०प्र० शासन।
10. बजट अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
11. खाद्य एवं रसद अनुभाग-६, उ०प्र० शासन।
12. ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।
14. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
15. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
16. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
17. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
18. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।